कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 4579/2021 ओंकार लाल वैष्णव बनाम राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2021 के अनुसरण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी–2/अपील/ओंकारलाल/4579/2021 दिनांक 20.12.2021 द्वारा श्री ओंकारलाल वैष्णव, प्रधानाचार्य, राउमावि भीमगढ जिला चित्तौडगढ का अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री ओंकार लाल वैष्णव द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष एक नवीन अपील संख्या 6387/2021 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2022 द्वारा अपीलार्थी को राउमावि श्रीपुरा जिला चित्तौडगढ से राउमावि भीमगढ जिला चित्तौडगढ किए गए स्थानान्तरण पर योगकाल एवं यात्रा भत्ता दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी श्री ओंकार लाल वैष्णव को राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियम 17(1) (4) एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981 के नियम 4 के अनुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय किया जाता है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/ओंकारलाल/6387/2021 दिनांकः 24-06-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चितौडगढ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक चित्तौडगढ।
4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. श्री ओंकारलाल वैष्णव, प्रधानाचार्य राउमावि भीमगढ जिला चित्तौडगढ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)